राधेताश - श्योराम आदि मु.नं. 254/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5/10/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय 15.10.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर
15/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 254 / 2012

1 रोहिताश उम्र 55 साल पुत्र पतासी पुत्री रामदेवा
2 रामसिंह उम्र 50 साल पुत्र पतासी पुत्री रामदेवा
समस्त जाति कहार निवासी मेहरो की ढाणी निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 लक्ष्मी देवी पुत्री रामदेवा पत्नी तनसुख जाति कहार निवासी ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 बोदी देवी पुत्री रामदेवा पत्नी ओमप्रकाश जाति कहार निवासी करकड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्योराम पुत्र भूरा
2 रामपाल पुत्र गोरूराम
3 बिड़दाराम पुत्र गोरूराम
4 श्योलाराम पुत्र गोरूराम
5 सावतराम पुत्र गोरूराम
6 मु. भगवानी बेवा गोरूराम (नाम हजफ दिनांक 05.04.2023)
7 हुक्माराम पुत्र रामेश्वर
8 जगदीश पुत्र रामेश्वर
9 देबूराम पुत्र रामेश्वर
10 सिन्जा बेवा रामेश्वर
11 चूंकी देवी पत्नी गीदा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 मंगलचन्द पुत्र गीदा
13 मूलचन्द पुत्र गीदा
14 मोहनलाल पुत्र गीदा
15 छोटूराम पुत्र गीदा
16 गीता पुत्री गीदा
17 मैना पुत्री गीदा
समस्त जाति कहार निवासीगण ढाणी कहारान तन बाजौर तहसील व जिला सीकर राज.।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

19 कमला देवी पत्नी गणपत (गणपत पुत्र रामदेवा) जाति कहार निवासी कहारो की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर।
20 भगवानी पुत्री भूरा पत्नी परमानन्द जाति कहार निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
21 घीसी पुत्री भूरा पत्नी सुण्डाराम जाति कहार निवासी केड़गुढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.1990
मु.नं. 186/1989 बउनवानी श्योराम आदि बनाम
गीदाराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भीमसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री शम्भुदयाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15·10·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 186/1989 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.1990 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने एक वाद उद्घोषणार्थ एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबंदी बाबत भूमि खसरा नम्बर 228/1, 229/1 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में भूरा के जायंदा पुत्र रामदेवा के वारिसान अपीलांट संख्या 1 व 2 की माता पतासी, अपीलान्ट संख्या 3 व 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19, 20, 21 को पक्षकार ही नहीं बनाया न ही भूरा की वंशावली में अंकित किया, जबकि समस्त प्रथम श्रेणी के वारिस है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अधूरी वंशावली पेश करने व भूरा के समस्त वारिसान को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में भूरा की आधी अधूरी वंशावली पेश की गयी जबकि अपीलांट संख्या 1 व 2 की माता पतासी व अपीलांट संख्या 3 व 4 मृतक रामदेवा की पुत्री है व रामदेवा, भूरा का जायंदा पुत्र था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 मृतक रामदेवा के पुत्र गणपत की विधवा व रेस्पोडेन्ट संख्या 20, 21 मृतक भूरा की जायंदा पुत्रियां थी। इसलिए वादग्रस्त भूमियों में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का 1/28 हिस्सा, अपीलांट संख्या 3 व 4 का 2/28 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 का 1/28 व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 व 21 का 1/7 प्लस 1/7 कुल 2/7 हक हिस्सा वैध रूप से है व इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का 1/7 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 10 का 1/7 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 17 का 1/7 हक हिस्सा है। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा 1/4–1/4 की डिक्री पारित करके कानूनी भूल की गयी। भूमि पुराने खसरा नम्बर 228/1 रकबा 3.35 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 229/1 रकबा 1.98 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.33 हैक्टेयर वाके रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के दौराने सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 956 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 957 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 966 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 968 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 938/3237 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर कायम किए गये जिसमें अपीलांट संख्या 1 व 2 का 1/28 हिस्सा, अपीलांट संख्या 3 व 4 का 2/28 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 का 1/28 व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 व 21 का 1/7 प्लस 1/7 कुल 2/7 हक हिस्सा वैध रूप से है व इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 का 1/7 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ता 10 का 1/7 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 17 का 1/7 हक हिस्सा है तथा इसी अनुसार अपीलांट को उक्त भूमियों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 ने विचारण न्यायालय में मृतक भूरा की आधी अधूरी वंशावली पेश कर भूरा के प्रथम श्रेणी के वैध वारिसान को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया, जबकि अपीलांट संख्या 1 व 2 की माता व अपीलांट संख्या 3 व 4 मृतक भूरा के पुत्र रामदेवा की पुत्रियां है जो प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट का विरासतन हक हिस्सा है। इसलिए अपीलान्टस के वैध हक अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.1990 से अपीलांट व्यथित पक्षकार है जिन्हें अपील करने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए अपीलान्टस को अपील करेन की इजाजत दिया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिस बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.1990 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील 20.12.2012 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। यह अपील 22 साल के असाधारण विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट भूरा के जायन्दा पुत्र रामदेवा के वारिसान है। विचारण न्यायालय में दावा भूरा की विरासत के आधार पर डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे रामदेवा भूरा का पुत्र होना प्रकट होता हो, विवादित भूमि पर रामदेवा अथवा उसके वारिसान के कब्जे काश्त का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर

को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.1990 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील 20.12.2012 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। यह अपील 22 साल के असाधारण विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट भूरा के जायन्दा पुत्र रामदेवा के वारिसान है। विचारण न्यायालय में दावा भूरा की विरासत के आधार पर डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे रामदेवा भूरा का पुत्र होना प्रकट होता हो, विवादित भूमि पर रामदेवा अथवा उसके वारिसान के कब्जे काश्त का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5 धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

सीकर